

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या-01/स्था०विधि-102/2023-

/पटना, दिनांक

जनवरी, 2024

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023) में निहित शर्तों के आलोक में विहित वेतनमान के उच्चवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-4) का वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी का प्रभार विभागीय पत्रांक-1447/सी.सी. दिनांक-05.12.2023 के द्वारा दिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तंभ -4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित एवं स्तंभ-5 में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	कर्मि का नाम	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार कौशल, उच्चवर्गीय लिपिक	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना।	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना।	गन्ना उद्योग विभाग में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।
2	श्री मनोज कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	गन्ना उद्योग विभाग में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।
3	श्री रविराज रत्न, उच्चवर्गीय लिपिक	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी।	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी के कार्यालय में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।
4	श्री सुधीर प्रसाद साही, उच्चवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।	
5	श्री राहुल कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	गन्ना उद्योग विभाग में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।
6	श्री दीपक कुमार पाण्डेय, उच्चवर्गीय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)।	उप निदेशक, ईख विकास, पटना में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।
7	श्री श्रीराम शर्मा, उच्चवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर।	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर।	अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय कार्य का निष्पादन करेंगे।
8	श्री विनय कुमार-2, उच्चवर्गीय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	गन्ना उद्योग विभाग में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।
9	श्री रंजन कुमार सिन्हा, उच्चवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई।	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर।	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।
10	श्री अभिनव कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	
11	श्री अनीत कुमार-2, उच्चवर्गीय लिपिक	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय।	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा।	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु समझा जाय।

3. पूर्व में निर्गत आदेश इस हद्द तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-

(गिरिवर दयाल सिंह)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या- 118/CC -

/पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कार्यालय/सभी संबंधित कोषागार/सभी संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गिरिवर दयाल सिंह)